1 P.M.

5. It will be seen from what has been stated above that the IOC management has been in constant touch with the State Government authorities and the Ministry has impressed on the State Government the seriousness of the situation. I am most concerned that all our efforts in his direction have been of little avail. I have, therefore, decided that the Chairman, Indian Oil Corporation Ltd. and a senior officer of the Ministry should visit Madras immediately and make an on-the-spot assessment of the situation in consultation with the State authorities. These officers will report to me as to why these pilferages have gone on for so long without being checked. They will also suggest what action needs to be taken to put an end to these thefts. I would like to assure the House that everything possible will be done to see that there is no recurrence of such incidents.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, on a...(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

Re. **PRIVILEGE MOTIONS** — *Contd.*

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, on behalf of more than one lakh college teachers. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This point will be coming up. Please take your seat. This has been allowed.

श्री रामेश्वर सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है . . .

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Sir, even before lunch they wanted to make a submission.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard them.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Various Members wanted to make a submission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard them for one hour. This cannot go on for the whole day.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: What is the harm if you kindly hear their view-point?

श्री उपसभापति : एक घन्टे तक बहस चलती रही, कोई व्यू-पोइन्ट बचा नहीं । अब कालिंग अटेंशन चलने दीजिए । बागाईतकर जी, आप कहिए ।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: The view-points were not heard.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्यप्रदेश): सुन लें । हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है । आप सुन तो लीजिए ।

एक माननीय सदस्य : एक-एक कर के सुन लीजिए । (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not hear everybody. I will hear Mr. Bagaitkar only.

श्री सदाशिव बागाईतकर : उपसभापति महोदय, सदन उठने से पहले मैंने प्रार्थना की थी . . .

श्री उपसभापति : आप अपनी बात कहिए ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : आपने कहा था कि आप बाद में अपनी बात कहियेगा । मैं बराबर खड़ा होता रहा अपनी बात कहने के लिये लेकिन आपने उसकी इजाजत उस समय

[श्री सदाशिव वागाईतकर]

नहीं दी । इस मामले में एक बात आप के सामने नहीं रखी गयी है, उसको ही मैं रखना चाहता हूं । 23 तारीख को यह प्रिविलेज का सवाल दिया गया था । 23 तारीख से आज तक उस का फैसला नहीं हुआ । चेम्बर में मैंने दो बार चेयरमैन साहब को दरखवास्त की और कहा कि अगर कोई अरजेंसी है तो उसके बारे में सोचिये । चेम्बर में उन्होंने मुझे जो बातें कहीं उन को मैं तो यहां नहीं कह सकता लेकिन इतना कह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम इस को अपने तरीके से कर रहे हैं । मेरी आप से यह प्रार्थना है कि इस मामले में जो कार्याविलि है, जो नियम हैं उनके मुताबिक ही फैसला हो । इसको वे मंजूर करें या न मंजूर करें इसमें मैं नहीं आना चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें चेयरमैन साहब की अलग से कोई प्रक्रिया हो सकती है । मुझे यह आशंका है कि जैसे कोई मामूली रिप्रेजेंटेशन होता है उसको रिइंफोर्स करने के लिये कोई बात और लिख दी जाये, ऐसी कोई बात इस में नहीं होनी चाहिए । यह कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है । तो इस लिये आप कम से कम मुझे इतना आश्वासन दीजिए कि जो फैसला होगा इसका वह किस तरीके से होगा । वह किसी अलग तरीके से होगा या नियमों के मुताबिक ही फैसला होगा और मैं अंडर लाइन करना चाहूंगा कि प्रिविलेज मोशन की कुछ अरजेंसी होती है । 23 तारीख का दिया हुआ मोशन और उसके बाद चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का बयान जब आप के सामने रखा है तो अभी तक उस का फैसला न हो, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है । तो यह दो पहलू मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री लाडली मोहन निगम : सभापति महोदय से कहिए कि वे इस पर अपनी रूलिंग दें । कोई फैसला दें ।

श्री उपसभापति : मैं कहना चाहता हूं कि श्री बागाईतकर जी ने जो बात उठायी है उसके बारे में फसला जो भी सभापति जी देंगे वह नियमों के अनुसार ही देंगे, नियमों के हवाले से देंगे । ऐसा नहीं है कि वह नियमों के बाहर जायेंगे ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : पहले क्यों नहीं कहा ।

Why did you not say in the morning that it will be as per rules? You did not say that in the morning.

श्री उपसभापति : सुबह से मैं कह रहा हूं ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Mr. Deputy Chairman, Sir, at the beginning, your words were like this: It is the Chairman's word that is the rule.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You see the record. On what basis you said that? It must be as per the rules. Under what rules you have said that?

श्री उपसभापति : यह आप के शब्द हैं । मैं ने ऐसे कोई शब्द नहीं कहे । इसलिये इसका फैसला सभापति जी करेंगे, जो भी करेंगे वह नियमों के अनुसार करेंगे, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि . . .

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : आप सुनते ही नहीं हैं, डिप्टी चेयरमैन साहब . . .

श्री उपसभापति : अभी पहले आप बैठ जाइये ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I want to specifically know under what rule the Chairman has refused. Please say that. Then, we shall listen to you.

श्री उपसभापति : मिस्टर कुलकर्णी, पहले आप बैठ जाइये । मैं बता दूं । नियमों का हवाला तो मैं आप को नहीं दे सकता आप नियमों की किताब अपने हाथ में लिये हैं, वह देख सकते हैं कि प्रिविलेज मोशन के संबंध में नियम क्या हैं और उनके अनुसार ही चेयरमैन साहब फैसला करेंगे ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I am asking you: Under what rule? You only quote the rule. I am prepared to accept it.

श्री उपसभापति : आप बैठिये । मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइये ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: The point is: Under what rule? You tell us the rule.

श्री उपसभापति : हमारी यह परम्परा नहीं है कि जब मैं खड़ा होऊं तो आप भी खड़े रहें । अगर आप ऐसा ही करते हैं तो ठीक है ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You need not educate me on the conventions of the House. I know them better.

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइये । नियमों की बात कुलकर्णी जी बार-बार उठाते हैं और वे मुझे बता रहे हैं । मैं नहीं समझता कि कुलकर्णी जी जैसा विद्वान और वरिष्ठ सदस्य इस सदन की परम्परा को नहीं जानता । मैं अधिकारी नहीं हूं कि मैं उनको बतलाऊं कि किन नियमों के अनुसार वह, चेयरमैन साहब फैसला करेंगे । यह उनकी दलील थी कि अध्यक्ष महोदय नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं । मैं इस बात को नहीं मानता । वह नियमों के अंतर्गत ही निर्णय करेंगे । आप धीरज रखें । और दूसरी बात जो समय की कही गयी है, मैं समझता हूं कि (*Interruptions*) इस प्रश्न पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि यह प्रश्न राज्य सरकार के जुरिस्डिक्शन में आता है और इस संबंध में गृह मंत्री जी कोई भी जवाब नहीं दे सकते बगैर राज्य सरकार से जानकारी हासिल किये हुए इसलिये इस में थोड़ा विलम्ब लग सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि . . .

श्री रामेश्वर सिंह : गृह मंत्री जी ने तो बयान दिया है ।

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइये । दूसरी बात जो बार बार दोहरायी गयी कि चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दिया है, तो हमारे सामने चीफ मिनिस्टर का कोई बयान नहीं है । वह उन्होंने विधान परिषद् या विधान सभा में दिया होगा । उन के सामने कोई बयान नहीं है ।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरी बात सुनिये . . . (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : गृह मंत्री महोदय का जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आता तब तक इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । मैं आशा करता हूं कि सभापति जी बहुत शीघ्र इस पर निर्णय देंगे और सदन की जो भावना है वह मैं सभापति जी को बता दूंगा । (*Interruptions*)

श्री सत्यपाल मलिक : आपको मिसलीड किया गया है । मुझे सुन लीजिए । (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : सुनने का सवाल नहीं है । (*Interruptions*)

श्री सत्यपाल मलिक : एक मिनट सुन लीजिए ।

श्री उपसभापति : अगर आप इस तरह सदन की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं (*Interruptions*)

श्री सत्यपाल मलिक : मैं सदन की कार्रवाई को नहीं रोक रहा हूं क्योंकि आपको गलत जानकारी दी गई है, आपकी जानकारी को सही करने के लिये मैं एक मिनट लूंगा (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आप सभापति जी की जानकारी को सही करिये। (*Interruptions*)

श्री सत्यपाल मलिक : आप दोनों की जानकारी सही करूंगा। मैंने 23 तारीख को एक ओरिजिनल नोटिस दिया था। मेरी जानकारी के अनुसार चेयरमैन साहब ने गृह मंत्री को लिखा कि आपने इस रिपोर्ट में यह कहा है कि रेप नहीं है और माननीय सदस्य का यह कहना है। उन्होंने एरोगेंटली जवाब दे दिया और उन्होंने कोई सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की। इस बात का मैंने सबूत दिया और चीफ मिनिस्टर का बयान दिया। चीफ मिनिस्टर का जो ओरिजिनल बयान था जो उन्होंने उत्तर प्रदेश असेम्बली में सरकुलेट करके बंटवाया था और विधान परिषद् में जो बयान हुआ है उन दोनों का ओरिजिनल नोट, कापी नहीं, 6 दिन पहले दिया था। मेरा सबमिशन है (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : ठीक है आपने लिख दिया था। (*Interruptions*)

श्री सत्यपाल मलिक : मेरा एक मिनट सबमिशन सुन लें। (*Interruptions*) पहली बात यह है इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिये (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : मैं यह कह रहा हूं कि जहां तक सदन की भावना का सवाल है उससे मैं सभापति जी को अवगत करा दूंगा। ...(*Interruptions*)। आगे की कार्रवाई चलने दीजिए। श्री कल्पनाथ राय।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं एक बेसिक बात कह रहा हूं। इस सदन में आप फैसला करते हैं और दूसरे सदन में स्पीकर की डायरेक्शन होती है। यहां कोई चीज नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि नेता सदन को आप विश्वास में लें और अपोजिशन के लोगों को विश्वास में लेकर यहां भी स्पीकर के डायरेक्शन जैसी कोई चीज होनी चाहिये वरना ऐसे मामले इस तरह से सुलझेंगे नहीं (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : अब सदन नियमानुसार चल रहा है। श्री कल्पनाथ राय।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरी बात भी सुन लें। (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आप सदन की कार्रवाई को रोकेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : रामेश्वर सिंह जी आप स्थान ग्रहण करिये। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (*Interruptions*)

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : क्या प्वांइट आफ आर्डर है ?

श्री शिव चन्द्र झा : मैं जड़ से बता रहा हूं। (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : जड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह वैसा स्पेशल मेंशन वाला मामला नहीं है कि दे दिया और गारन्टेड, नाट गारन्टेड हो जाए। यह अहम मामला है। जब विषय अध्यक्ष जी के सामने आता है तो तरीका और नियम यह कहता है कि उससे सदन को अवगत कराया जाए। यह कहा जाए कि यह विषय है और यह मामला विचाराधीन है। मैं इस पर निर्णय लूंगा।

जब मामले से वाफिक नहीं कराते और निर्णय भी नहीं देते हैं तेब हल्ला करके बात को सामने लाना पड़ता है। जो कुछ इन्होंने उठाया है उसका किसी को पतो नहीं था। *(Interruptions)*

श्री उपसभापति: किस को नहीं पता था ।

श्री शिव चन्द्र झा : यह मेरा व्यवस्था का सवाल है। *(Interruptions)*

श्री रामेश्वर सिंह: मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपसभापति : कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । *(Interruptions)*

श्री शिव चन्द्र झा : मैंने आपको उदाहरण दिया है.... *(Interruptions)*

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा व्यवस्था का सवाल है *(Interruptions)*

श्री शिव चन्द्र झा : मेरी बात सुनिये .. *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : आप बात को दोहरा रहे हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : इस तरह से प्रिविलेज मोशन का ही हनन नहीं होता है बल्कि सदन की कार्रवाई का हनन होता है। आप कहते हैं कि आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको अधिकार नहीं है तो आप अध्यक्ष जी को जाकर कहिये। *(Interruptions)* इस पर सफाई होनी चाहिये। इससे काम नहीं चलेगा जो विषय आते हैं उससे सदन को अवगत कराइये। *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : अलग से आप मिल सकते हैं। *(Interruptions)*

श्री शिव चन्द्र झा : यह महत्वपूर्ण विषय है इससे आपको सदन को अवगत कराना चाहिये। जहां तक प्रिविलेज का सवाल है इसको आप एक कमेटी के सामने सौंप दें । *(Interruptions)*

उनकी जो माँगें होती हैं वे सब उनको दे दी गई हैं। लेकिन इस बारे में सदन को नहीं बतलाया गया। यह नियमों का उल्लंघन है। आप हमें इस बात का आश्वासन दें कि आप सभापति जी से बात करके इन सारी बातों की सफाई देंगे। आप इसका आश्वासन दें ।

श्री उपसभापति : आप अपना आसन ग्रहण करें . . . *(Interruptions)*

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं.. *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : आपको अगर कोई नई बात कहनी है तो कहें।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि चेयरमैन साहब को दो प्रिविलेज के नोटिस दिये गये हैं ... *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : यह बात तो कह दी गई है। आप बिना वजह उसी बात को बार-बार उठा रहे हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आपके आदेश को मानने को तैयार हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमने दो प्रिविलेज के मोशन दिए हैं। इसमें एक तो मुख्य मंत्री का बयान है . . . *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : यह कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। यही बात श्री मलिक आधे घंटे से कहते रहे हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : इस पर आप अपना निर्णय दे दीजिए ।

श्री उपसभापति : मैं सभापति जी को सदन की भावनायें कह दूंगा ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन, आप सदन की भावनाओं को सभापति जी तक पहुंचाने के साथ-साथ .. *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। मैं इसी बात को कह रहा हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप सभापति जी से यह भी निवेदन कर दें कि 12 बजे के बाद 15 मिनट तक वे सदन में और ठहरें । यह आश्वासन आप दे दें।

श्री उपसभापति : ठीक है।

SHRI S. W. DHABE: Sir, this is a very important matter. This is in regard to interpretation of rules 187, 188 and 189. We do not agree with the interpretation given by one hon. Member that consent means, everybody should be asked. Hence, my suggestion to you is that, in order to cut short the whole thing, you should convey our strong feelings to the Chairman and he should be present in the House. This question should be discussed in the House so that all Members can partidipate in it. By this way, a procedure can be evolved. This should be discussed tomorrow. Kindly convey our strong feelings to the Chairman. This is all.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported racket involving pilferage of 50 barrels of lubricating oil worth Rs. 1 lakh daily from the Indian Oil Corporation's pipeline running between Manali Refinery and the Madras Port —*contd.*

श्री उपसभापति : श्री कल्पनाथ राय जी, समय बहुत हो गया है । इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए । मै माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वे कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति जी, मैंने सवाल किया था कि यह जो एक लाख रुपये मूल्य के लुब्रीकेटिंग आयल की पर डे चोरी होती है, क्या इसके पहले भी इस तरह की चोरी का पता लगाया गया था ? यदि हाँ, तो इसका क्या नतीजा हुआ सरकार ने दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार बताएगी कि यह चोरी कब से हो रही है और पाइप लाइन में वह कौन सा स्थान है जहाँ चोरी होती है ? सरकार ने पाइप लाइन की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है । क्या इस चोरी में रिफाइनरी में काम करने वाले अफसरों का भी हाथ है ? क्या पाइप लाइन में चोरी के तेल का हिसाब होता है या नहीं । टोटल प्रोफिट लास एकाउन्ट में पिलफ्रेज की मात्रा कितनी है ? क्या सरकार सी० बी० आई० के माध्यम से इस चोरी की इन्क्वायरी कराएगी । क्या सरकार रेलवे पब्लिक अन्डरटेकिंग एवं स्टील पब्लिक अन्डरटेकिंग की तरह से पैट्रोलियम के लिए भी सिक्योरिटी की व्यवस्था कराएगी क्योंकि इसमें सरकार के अरबो रुपयो का इंवोल्वमेन्ट है । क्या सरकार यह भी बतलाएगी कि इतनी चोरी जब सन् 1976 से आपके अनुसार हो रही है, तो इसमें कितने कर्मचारी पकड़े गये और कितनों को दंडित किया गया : इस चोरी के अलावा सन् 1976 से आज तक इस तरह की चोरी की कितनी घटनाएं हुई है क्या पैट्रोलियम मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ बात करके किसी प्रकार से सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करने जा रही है। चूंकि रेलवे मंत्रालय की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है और उसी तरह से स्टील मंत्रालय की भी अपनी सिक्योरिटी फोर्स है, इसलिए पैट्रोलियम में जब कि सरकार का अरबों रुपया लगा हुआ है और यह इतना बड़ा मंत्रालय है तो सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? श्रीमन्, मैंने ये सारे प्रश्न सरकार के सामने रखे है । इस मामले